राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय सं.–07

उपस्थित–माननीय श्री आनन्द कुमार सिंह, सदस्य (प्रशासकीय)

निर्देश याचिका सं.–1231/2023

विनित मलिक, आयु लगभग 33 वर्ष, पुत्र स्व0 नेत्रपाल सिंह, निवासी 3/92, रक्षापुरम कालोनी, थाना गंगा नगर, जिला सहारनपुर, वर्तमान तैनाती उप निरीक्षक/चौकी प्रभारी, रामपुर तिराहा, थाना छापर, जिला मुजफ्फरनगर, पी0एन0ओ0 133200025

...याची।

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह यू0पी0 सिविल सचिवालय, लोक भवन लखनऊ।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।

....विपक्षीगण।

श्री रमेश सिंह विद्वान अधिवक्ता, वास्ते याची।
श्री एस0पी0 सिंह, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, वास्ते विपक्षीगण

निर्णय

(मा0 श्री आनन्द कुमार सिंह सदस्य (प्रशा0) द्वारा श्रुतलेखित)

1. याची द्वारा वर्तमान निर्देश याचिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4 के अन्तर्गत विपक्षी संख्या–3, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांकित 04.10.2022 तथा विपक्षी संख्या–2, पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांकित

26.05.2023 को चुनौती देते हुए संस्थित की गई है। निर्देश याचिका में याची ने निम्नलिखित अनुतोष याचित किए हैं:

> **"(i) To set aside the minor punishment order No.Da-51/2022 (censor entry) dated 04-10-2022 passed by the opposite party No. 3 and the appellate order dated 26-05-2023 passed by the opposite party No. 2 contained as Annexure No. 1 & 2 respectively to this claim petition.**
>
> **(ii) To direct the respondent authorities not to read the impugned minor punishment order No.Da-51/2022 (censor entry) dated 04-10-2022 passed by the opposite party No. 3 and the appellate order dated 26-05-2023 passed by the opposite party No. 2 to deny the petitioner any service benefit.**

2. याची द्वारा उपर्युक्त अनुतोष इस आधार पर याचित किए गए हैं कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांकित 16.03.2018 के अुनसार प्रदेश में अवैध खनन की रोकथान हेतु स्थानीय पुलिस के पास कोई विशेषता नहीं होती है। आयुक्त सहारनपुर डिवीजन सहारनपुर ने परिपत्र दिनांकित 22.03.2018 निर्गत करके, पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर, जिलाधिकारी सहारनपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/पुलिस अधीक्षक शामली को उक्त परिपत्र का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया था कि पुलिस अधिकारी खनन के मामले में सीधे हस्तक्षेप न करे, अनुरोध प्राप्त होने पर राजस्व अधिकारियों/मजिस्ट्रेट के साथ जाकर पुलिस द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत सहयोग प्रदान किया जाए। खनन की अनुमति खनन विभाग से ली जाती है और नियमानुसार मंसूर अहमद के पुत्र कौशर ने खनन विभाग से अनुमति ली और खनन का काम शुरू कर दिया और अवैध खनन के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा खनन विभाग या किसी अन्य विभाग से कोई शिकायत नहीं की गई। कथित गुप्त रिपोर्ट, जिसका खुलासा न तो जांच रिपोर्ट में किया गया है और न ही यह खुलासा किया गया है कि गुप्त जांच किसने की, जांच के बाद, याची को छोड़कर, प्रभारी निरीक्षक सहित सभी पुलिस अधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया, जो स्वयं दर्शाता है कि याची इस मामले में निर्दोष है। यदि खनन में कोई अनियमितता पाई

जाती है, तो इसकी रिपोर्ट खनन विभाग द्वारा दी जाती है, लेकिन खनन विभाग ने क्षेत्र में अवैध खनन के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी। अवैध खनन के संबंध में याची को कोई जानकारी नहीं थी इसलिए उन्होंने कथित अवैध खनन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए याची को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दण्डाधिकारी ने याची के जवाब के एक भी शब्द पर विचार नहीं किया और याची के जवाब के किसी भी शब्द पर कोई कारण या निष्कर्ष दिए बिना, उन्होंने याची के खिलाफ परिनिन्दा प्रविष्टि का आदेश पारित किया।. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि जांच सच्चाई का पता लगाने के लिए की जाती है, न कि दोषी कर्मचारी को सजा देने के इरादे से, और जब तक किसी अधीनस्थ कर्मचारी के किसी काम या चूक से प्राधिकरण के किसी नियम या आदेश का उल्लंघन नहीं होता, तब तक उसके खिलाफ सबूत खोजकर उसे सजा नहीं दी जा सकती। अवैध खनन के संबंध में कार्रवाई न करने के पीछे याची का कोई गलत इरादा नहीं था, इसलिए याची का काम कदाचार की श्रेणी में नहीं आता और ऐसे काम के लिए उसे दण्ड नहीं दिया जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 26.5.2023 के आदेश से याची की अपील को केवल समय–सीमा (limitation)के आधार पर यह कहते हुए खारिज कर दिया, कि अपील समय–सीमा से बाहर (time–barred) है क्योंकि इसे 1991 के नियमों के नियम 21 का उल्लंघन करते हुए 4 दिन की देरी से दायर किया गया था।

याची का अग्रतर यह भी कथन है कि जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में इंस्पेक्टर इंचार्ज संतोष त्यागी को भी दोषी ठहराया था और उन्हें भी लघु दण्ड दिया गया था जिसके खिलाफ उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की थी, जिसे अपीलीय अधिकारी ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन याची की अपील को भेदभावपूर्ण तरीके से खारिज कर दिया गया है, जो "विनोद कुमार श्रीवास्तव बनाम सचिव PWD व अन्य'' (2012 LABIC 2385) और ''बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड व अन्य बनाम गिरीश चंद्र शर्मा'' ((2007) ACC 206) के मामलों में स्थापित कानून का उल्लंघन है। प्रारंभिक जांच के दौरान जांच अधिकारी ने न तो खनन विभाग के किसी अधिकारी का बयान दर्ज किया और न ही मंसूर अहमद के बेटे कौशर का बयान लिया, जो कथित अवैध खनन का असली दोषी था, इसलिए, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अधूरी और

दोषपूर्ण है। लघु दण्डादेश में जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों या जांच में क्या पाया गया, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, जो ''जगदीश प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य'' के मामले में स्थापित कानून का उल्लंघन है। याची के विरूद्ध पारित दिनांक 4.10.2022 का दण्ड गैर–कानूनी, मनमाना, और बिना किसी ठोस कारण के दिया गया है।

3. याची के कथनानुसार उसका प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वर्ष 2021 में जब याची थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर में नियुक्त था तब दिनांक 03.12.2021 को क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन श्री चित्रांशु गौतम द्वारा ढमौला के समीप हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में चौकिंग की गयी, भारी मात्रा में साधारण मिट्टी का खनन होना पाया गया, मौके पर 8–9 फीट गहरे गढ़ढे जे०सी०बी० से खोदकर बनाये हुए पाये गये। जॉच के दौरान गोपनीय रूप से की गयी जानकारी के अनुसार यह तथ्य संज्ञान में आया कि आरक्षी ना०पु० 1759 ना०पु० सावन कुमार द्वारा थाना कोतवाली देहात पर ठेकेदार के रूप में कार्य किया जा रहा था। प्रकरण की जांच कराये जाने पर याची को भी जांच अधिकारी द्वारा दोषी ठहराये जाने के दृष्टिगत विपक्षी संख्या–3 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांकित 25.04.2022 याची को प्राप्त हुई, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14(2) के अंतर्गत परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया। याची ने उक्त कारण बताओ नोटिस का विस्तृत स्पष्टीकरण दिनांक 27.02.2021 को प्रस्तुत कर सभी आरोपों का स्पष्ट खण्डन किया, तथापि उसके स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना विपक्षी संख्या–3 ने दिनांक 04.10.2022 को परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्डादेश पारित कर दिया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध याची ने दिनांक 14.01.2023 को अपील प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 26.05.2023 को निरस्त कर दिया गया। इन्हीं आदेशों को विधि–विरुद्ध, बताते हुए याची द्वारा वर्तमान निर्देश याचिका योजित की गई है।

4. विपक्षीगण का संक्षेप में कथन है कि याची के विरुद्ध पारित दण्डादेश एवं अपीलीय आदेश पूर्णतः विधिसम्मत, नियमानुकूल तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए हैं। उनके अनुसार वर्ष 2021 में जब याची थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर में नियुक्त था तब दिनांक 03.12.2021 को क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन श्री चित्रांशु

गौतम द्वारा ढमौला के समीप हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में चौकिंग की गयी, रिपोर्ट के अनुसार ढमौला नदी के पास, भारी मात्रा में साधारण मिट्टी का खनन होना पाया गया मौके पर 8–9 फीट गहरे गढ़ढे जे०सी०बी० से खोदकर बनाये हुए पाये गये। उक्त खनन के सम्बन्ध में खनन कार्यालय से अनुमति के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो कौशर पुत्र मंसूर अहमद के गाटा सं0–21 रकबा 0.341 है० की भूमि पर कुल 500 घनमीटर तक समतलीकरण हेतु अनुमति ली गयी है। डा० रोशन जेकब सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्याः 1542ध्86–2020–153 (सा0)/2017 दिनांकित 08.09.2020 के द्वारा साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन के सम्बन्ध में जारी विस्तृत दिशा–निर्देश के अवलोकन के क्रम में आपने एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात ने अपने क्षेत्र ढमोला में खनन होने से अनभिज्ञता जाहिर की गयी, जॉच के दौरान गोपनीय रूप से की गयी जानकारी के अनुसार यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि आरक्षी ना०पु० 1759 ना०पु० सावन कुमार द्वारा थाना कोतवाली देहात पर ठेकेदार के रूप में कार्य किया जा रहा था। जिससे स्पष्ट है कि याची के द्वारा अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन सही प्रकार से नहीं किया गया है। इस प्रकार याची के हल्का क्षेत्र में हो रहे खनन से अनभिज्ञ रहकर अपने कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता बरतने का परिचायक पाये जाने के दृष्टिगत याची को दिनांक 25.04.2022 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जिसका स्पष्टीकरण याची द्वारा दिनांक 27.02.2021 को प्रस्तुत किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आलोक में सम्यक विचार करने के पश्चात् दण्डाधिकारी ने स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए विस्तृत कारणों सहित दिनांक 04.10.2022 को परिनिन्दा का दण्ड अधिरोपित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध याची द्वारा प्रस्तुत अपील पर भी अपीलीय प्राधिकारी ने उपलब्ध अभिलेखों एवं अपील में लिए गए समस्त आधारों पर विचार कर दिनांक 26.05.2023 को कारणयुक्त आदेश द्वारा अपील निरस्त कर दी। अतः विवादित दोनों आदेश विधिसम्मत, कारणयुक्त एवं प्राकृतिक न्याय के अनुरूप पारित किए गए हैं तथा उनमें किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं है।

5. विपक्षीगण का अग्रतर यह भी कथन है कि प्रश्नगत निर्देश याचिका धारा 4, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 के अधीन पोषणीय नहीं है, क्योंकि याची ने अपीलीय आदेश

दिनांकित 26.05.2023 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 23 के अंतर्गत उपलब्ध पुनरीक्षण (Revision) के वैधानिक उपचार का अवलम्बन किए बिना सीधे वर्तमान निर्देश याचिका संस्थित कर दी है, जिससे यह याचिका समयपूर्व (Premature) है। विपक्षीगण का यह भी कहना है कि याची द्वारा निर्देश याचिका में लगाए गए समस्त आरोप, जिनमें पर्याप्त अवसर न दिए जाने, अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन, साक्ष्य के अभाव, दण्डादेश एवं अपीलीय आदेश के अमुखरित होने तथा उद्धृत न्यायिक निर्णयों की प्रयोज्यता संबंधी कथन सम्मिलित हैं, निराधार एवं अस्वीकार्य हैं। उनके अनुसार याची को विभागीय कार्यवाही के प्रत्येक चरण पर पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, उसके स्पष्टीकरण एवं अपील पर विधिसम्मत विचार किया गया तथा समस्त आदेश स्वतंत्र विवेक के प्रयोग के उपरान्त पारित किए गए। अतः याची किसी भी अनुतोष का अधिकारी नहीं है और निर्देश याचिका तथ्यहीन, बलहीन तथा सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है।

6. याची ने प्रत्युत्तर शपथपत्र प्रस्तुत कर लिखित कथन में किए गए अभिकथनों का खण्डन किया तथा निर्देश याचिका में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतिकर्ता अधिकारी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अध्ययन एवं अनुशीलन किया गया।

8. वर्तमान निर्देश याचिका की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि याची को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.04.2022 (संलग्नक सं.–3) तामील कराया गया, जिसमें उसके विरुद्ध निम्नलिखित आरोप अंकित किया गया है:

<u>2022</u>

> **''वर्ष 2021 में जब आप थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर में नियुक्त थे, तब दिनांक 03.12.2021 को क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन श्री चित्रांशु गौतम द्वारा ढमौला के समीप हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में चौकिंग की गयी, रिपोर्ट के अनुसार ढमौला नदी के पास, भारी मात्रा में साधारण मिट्टी का खनन होना पाया गया मौके पर 8–9 फीट गहरे गढ़ढे जे०सी०बी० से खोदकर बनाये हुए**

पाये गये। उक्त खनन के सम्बन्ध में खनन कार्यालय से अनुमति के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो कौशर पुत्र मंसूर अहमद के गाटा सं0–21 रकबा 0.341 है० की भूमि पर कुल 500 घनमीटर तक समतलीकरण हेतु अनुमति ली गयी है। डा० रोशन जैकब सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्याः 1542/86–2020–153 (सा0)/2017 दिनांकित 08.09.2020 के द्वारा साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन के सम्बन्ध में जारी विस्तृत दिशा–निर्देश के अवलोकन के क्रम में आपने एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात ने अपने क्षेत्र ढमोला में खनन होने से अनभिज्ञता जाहिर की गयी, जॉच के दौरान गोपनीय रूप से की गयी जानकारी के अनुसार यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि आरक्षी ना०पु० 1759 ना०पु० सावन कुमार द्वारा थाना कोतवाली देहात पर ठेकेदार के रूप में कार्य किया जा रहा था। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन सही प्रकार से नहीं किया गया है। इस प्रकार आपके हल्का क्षेत्र में हो रहे खनन से अनभिज्ञ रहकर अपने कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता बरतने का परिचायक है।''

उक्त कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में याची द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण (संलग्नक सं.–4) प्रस्तुत किया गया। दण्डाधिकारी द्वारा याची के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए आक्षेपित दण्डादेश दिनांकित 04.10.2022 (संलग्नक सं.–1) के माध्यम से याची पर परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्ड अधिरोपित कर दिया गया। उक्त दण्डादेश के विरुद्ध याची द्वारा प्रस्तुत विभागीय अपील को भी अपीलीय आदेश दिनांकित 26.05.2023 (संलग्नक–2) द्वारा निरस्त कर दिया गया। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आदेशों के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण आदेश पारित नहीं किया गया है। उक्त दण्डादेश एवं अपीलीय आदेश से क्षुब्ध होकर याची द्वारा वर्तमान निर्देश याचिका योजित की गई है।

9. विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने सर्वप्रथम वर्तमान निर्देश याचिका की पोषणीयता पर प्रारम्भिक आपत्ति उठाते हुए तर्क दिया कि याची ने उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 23 के अधीन उपलब्ध पुनरीक्षण के वैधानिक उपचार का अवलम्बन किए बिना सीधे वर्तमान निर्देश याचिका योजित की है। अतः निर्देश याचिका समयपूर्व एवं उ०प्र० लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4 के अधीन अपोषणीय है।

इसके प्रतिवाद में याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची द्वारा विवादित दण्डादेश के विरुद्ध विभागीय अपील योजित की गई थी, जिस पर सक्षम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26.05.2023 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। नियम 23 के अधीन पुनरीक्षण का उपचार वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं, न तो नियमावली, 1991 तथा न ही उ०प्र० लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 में ऐसा कोई उपबंध है, जिसके अनुसार पुनरीक्षण योजित किए बिना निर्देश याचिका पोषणीय न हो।

इस अधिकरण द्वारा पक्षकारों के प्रतिद्वन्द्वी तर्कों तथा अभिलेखों का परीक्षण किया। यह निर्विवाद तथ्य है कि याची की विभागीय अपील का निस्तारण हो चुका था और उसके उपरान्त ही वर्तमान निर्देश याचिका योजित की गई। ***U.P. Subordinate Police Officers (Punishment and Appeal) Rules, 1991***, का नियम 23(1) इस प्रकार है:

> **"any authority subordinate to the Government is entitled to submit an application for revision to the superior authority next to the authority which has rejected his appeal within three months from the date of rejection of appeal."**

नियम में आगे यह भी कहा गया है:

> **"On such an application the powers of revision may be exercised only when, in consequence of flagrant irregularity, there appears to have been material injustice or miscarriage of justice."**

नियम में आगे यह भी कहा गया हैः

> **"Provided that the revising authority may on its own motion call for and examine the records of any order passed in appeal against which no revision has been preferred."**

नियम 23 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण का प्राविधान वैकल्पिक है, न कि अनिवार्य। धारा 4, उ०प्र० लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 में भी ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं है कि पुनरीक्षण के बिना अधिकरण का अधिकार क्षेत्र अवरुद्ध हो जाए। अतः केवल पुनरीक्षण का उपचार उपलब्ध होने मात्र से वर्तमान निर्देश याचिका अपोषणीय नहीं ठहराई जा सकती। परिणामस्वरूप, विपक्षीगण की प्रारम्भिक आपत्ति निरस्त की जाती है तथा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वर्तमान निर्देश याचिका उ०प्र० लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4 के अधीन पूर्णतः पोषणीय है और गुण–दोष पर निर्णित किये जाने योग्य है।

10. याची के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांकित 16.03.2018 के अुनसार प्रदेश में अवैध खनन की रोकथान हेतु स्थानीय पुलिस के पास कोई विशेषज्ञता नहीं होती है। आयुक्त सहारनपुर डिवीजन सहारनपुर ने परिपत्र दिनांकित 22.03.2018 निर्गत करके भी निर्देशित किया गया था कि पुलिस अधिकारी खनन के मामले में सीधे हस्तक्षेप न करे। अतः याची पर यह आरोप लगाना कि आरक्षी सावन कुमार द्वारा थाना कोतवाली देहात पर ठेकेदार के रूप में कार्य किया जा रहा था इस सम्बन्ध में याची द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी उचित नहीं है।

इसके विपरीत विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा यह अभिकथन किया गया कि डा० रोशन जैकब सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्याः 1542/86–2020–153 (सा0)/2017 दिनांकित 08.09.2020 के द्वारा साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन के सम्बन्ध में जारी विस्तृत दिशा–निर्देश के अवलोकन के कम में याची ने खनन होने से अनभिज्ञता जाहिर की गयी थी इसलिए याची को दोषी पाये जाने पर दण्डित किया गया।

इस सम्बन्ध में पत्रावली का आवलोकन करने से विदित होता है कि खनन की अनुमति खनन विभाग से ली जाती है और नियमानुसार मंसूर अहमद के पुत्र कौशर ने खनन विभाग से अनुमति लेकर खनन

का काम कराया गया। अवैध खनन के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा खनन विभाग या किसी अन्य विभाग से कोई शिकायत की हो ऐसी शिकायत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। कथित ''**गुप्त रिपोर्ट**'' की जांच किसने की ऐसा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि जांच के बाद, याची को छोड़कर, प्रभारी निरीक्षक सहित सभी पुलिस अधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था जिससे भी यह सिद्ध होता है कि याची इस मामले में निर्दोष था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि खनन विभाग द्वारा भी अवैध खनन के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट थाने पर नहीं दी गयी थी जिसके आधार पर याची कोई कार्यवाही करता। इसलिए प्रकरण में याची को दोषी ठहराना उचित प्रतीत नहीं होता है।

11. याची के विद्वान अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि प्रकरण में ''गुप्त जांच'' करायी गयी परन्तु उक्त गुप्त जांच रिपोर्ट की प्रति याची को उपलब्ध नहीं करायी गयी, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत था। फलस्वरूप वह अपने विरुद्ध उपलब्ध सामग्री का प्रभावी प्रतिवाद करने से वंचित रह गया।

इसके विपरीत विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का कहना है कि नियम 14(2) के अंतर्गत केवल कारण बताओ नोटिस देकर स्पष्टीकरण प्राप्त करना अपेक्षित है, जिसका पालन किया गया है, कारण बताओ नोटिस के साथ याची को जांच आख्या की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी थी, अतः मात्र गोपनीय जांच की प्रति उपलब्ध न कराए जाने से कार्यवाही अवैध नहीं हो जाती। याची के प्रकरण में नियमानुसार जांच सम्पादित की गयी, जिसमें दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध प्रश्नगत दण्डादेश पारित किया गया।

उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि याची को दोषी पाये जाने का आधार गोपनीय जांच रिपोर्ट को बनाया गया है परन्तु अभिलेखों पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त गोपनीय जांच रिपोर्ट अथवा उससे संबंधित सामग्री याची को उपलब्ध कराई गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **State of Uttar Pradesh v. Saroj Kumar Sinha, (2010) 2 SCC 772** में प्रतिपादित किया है किः

> **"An employee must have a reasonable opportunity to defend himself."**

इसी प्रकार **Managing Director, ECIL v. B. Karunakar, (1993) 4 SCC 727** में यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि जिस सामग्री पर सक्षम प्राधिकारी अपने निर्णय का आधार बनाता है, उसकी प्रति संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध कराना निष्पक्ष सुनवाई का अभिन्न अंग है। इन सिद्धांतों के आलोक में अधिकरण का मत है कि प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराए बिना उसी पर आधारित कार्यवाही आगे बढ़ाना याची के प्रभावी प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। परिणामतः प्रश्नगत कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की कसौटी पर विधिसम्मत नहीं पाई जाती।

12. याची के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क है कि जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में इंस्पेक्टर इंचार्ज संतोष त्यागी को भी दोषी ठहराया था और उनके विरूद्ध भी लघु दण्डादेश पारित किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की थी, जिसे अपीलीय अधिकारी ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन याची की अपील को भेदभावपूर्ण तरीके से खारिज कर दिया गया है, जो **"विनोद कुमार श्रीवास्तव बनाम सचिव PWD व अन्य''** (2012 **LABIC** 2385) और **''बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड व अन्य बनाम गिरीश चंद्र शर्मा''** (2007) **ACC** 206) के मामलों में स्थापित कानून का उल्लंघन किया गया है।

इसके विपरीत विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्णित न्यायिक निर्णय तथ्यों की भिन्नता के आधार पर याची के मामले में लागू नहीं होता है अतः याची उक्त निर्णयों के आधार पर दण्डादेश के सम्बन्ध में कोई लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

इस सम्बन्ध में अधिकरण द्वारा का निरीक्षक ना0पु0 संतोष त्यागी के सम्बन्ध में पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 20.03.2023 परिशीलन किया गया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर ने संतोष त्यागी की अपील स्वकार करते हुए उनके विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांकित 04.10.2022 को निरस्त कर दिया है। अतः समान प्रकरण में दोषी पाये गये याची विनित कुमार को भी दोषी ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि प्रारंभिक जांच के दौरान जांच अधिकारी ने न तो खनन विभाग के किसी अधिकारी का बयान दर्ज

किया और न ही मंसूर अहमद के बेटे कौशर का बयान लिया, जो कथित अवैध खनन का असली दोषी था, इसलिए त्रुटिपूर्ण प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर याची के विरूद्ध पारित प्रश्नगत दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है।

13. याची के विद्वान अधिवक्ता ने अगला तर्क यह प्रस्तुत किया कि दूषित एवं अपूर्ण प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर पारित दण्डादेश विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। यह भी अभिकथित किया गया कि याची द्वारा प्रस्तुत विस्तृत स्पष्टीकरण पर दण्डाधिकारी ने कोई स्वतंत्र विचार अथवा अभिमत व्यक्त नहीं किया, जिसके कारण विवादित दण्डादेश को सकारण एवं मुखरित आदेश नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने **Raj Kumar Mehrotra v. State of Bihar & Others, 2006 SCC (L&S) 679** तथा **Union of India v. Mohan Lal Kapoor, (1973) 2 SCC 836** के निर्णयों पर निर्भरता व्यक्त की। **Raj Kumar Mehrotra** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में उठाए गए प्रतिरक्षा बिन्दुओं पर विचार किए बिना तथा कारण अभिलिखित किए बिना दण्डादेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार **Mohan Lal Capoor** में यह प्रतिपादित किया गया कि:

> **"Reasons are links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions-"**

आक्षेपित दण्डादेश के परीक्षण से परिलक्षित होता है कि दण्डाधिकारी ने याची के विस्तृत स्पष्टीकरण को केवल **"संतोषजनक नहीं पाया गया"** कहकर अस्वीकार कर दिया, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि उसके किस प्रतिरक्षा बिन्दु को किस आधार पर अस्वीकार किया गया। विशेष रूप से यह परीक्षण नहीं किया गया कि प्रारंभिक जांच के दौरान जांच अधिकारी ने खनन विभाग के किसी अधिकारी का बयान दर्ज क्यों नहीं किया गया, ही मंसूर अहमद के बेटे कौशर का बयान क्यों नहीं लिया, जो कथित अवैध खनन के असली दोषी थे। इन सभी महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा बिन्दुओं पर दण्डाधिकारी द्वारा कोई स्वतंत्र, तार्किक एवं कारणयुक्त निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया। फलतः यह स्पष्ट है कि विवादित दण्डादेश याची की मूल प्रतिरक्षा का वास्तविक परीक्षण किए बिना पारित किया गया।

13. अपीलीय आदेश दिनांकित 26.05.2023 के परीक्षण से भी यह परिलक्षित होता है कि उसमें मूल दण्डादेश के निष्कर्षों की ही पुनरावृत्ति की गई है। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अपीलीय प्राधिकारी का दायित्व केवल मूल आदेश की पुष्टि करना नहीं, बल्कि

अपील में उठाए गए प्रत्येक महत्वपूर्ण बिन्दु पर स्वतंत्र एवं कारणयुक्त विचार करना है। यदि मूल दण्डादेश स्वयं सकारण एवं मुखरित नहीं है, तो मात्र उसकी पुष्टि कर देने से उस मूल दोष का निराकरण नहीं हो सकता। अतः जब मूल दण्डादेश याची की प्रमुख प्रतिरक्षाओं का समुचित परीक्षण किए बिना पारित पाया गया है, तब उस पर आधारित अपीलीय आदेश भी उसी विधिक दोष से प्रभावित माना जाएगा। इस संदर्भ में विधि का सुस्थापित सिद्धांत "Sublato fundamento cadit opus" पूर्णतः लागू होता है, जिसका अभिप्राय है कि जब आधार ही समाप्त हो जाता है, तो उस पर आधारित संपूर्ण संरचना स्वतः ध्वस्त हो जाती है।

14. उपर्युक्त समस्त तथ्यों, अभिलेखों, प्रारम्भिक जांच आख्या, याची के स्पष्टीकरण, आक्षेपित दण्डादेश, अपीलीय आदेश तथा दोनों पक्षों के तर्कों के समग्र परीक्षण से यह अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दण्डाधिकारी ने याची द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा बिन्दुओं एवं प्रारम्भिक जांच में उपलब्ध प्रासंगिक तथ्यों का स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ एवं कारणयुक्त परीक्षण नहीं किया। अपीलीय प्राधिकारी भी उक्त मूल त्रुटियों का समुचित निराकरण करने में असफल रहे। फलतः आक्षेपित दण्डादेश दिनांकित 04.10.2022 (संलग्नक–1) तथा अपीलीय आदेश दिनांकित 26.05.2023 (संलग्नक–2) विधि द्वारा अपेक्षित सकारण एवं मुखरित आदेश की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। अतः न्यायहित में दोनों आदेशों में न्यायिक हस्तक्षेप अपेक्षित है, निर्देश याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

15. परिणामस्वरूप, याची की निर्देश याचिका संख्या 1231/2023 स्वीकार की जाती है। तद्नुसार निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं :–

(i) विपक्षी संख्या–3 द्वारा पारित याची के विरुद्ध परिनिन्दा प्रविष्टि अधिरोपित करने वाला मूल दण्डादेश दिनांकित 04.10.2022 (संलग्नक संख्या–1) तथा विपक्षी सं0–2 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 26.05.2023 (संलग्नक संख्या–2) एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(ii) दण्डादेश दिनांकित–04.10.2022 (संलग्नक–1), के अनुपालन में याची की चरित्र पंजिका में अंकित परिनिन्दा प्रविष्टि को विलोपित किए जाने का निर्देश दिया जाता है

तथा यह माना जाएगा कि उक्त परिनिन्दा प्रविष्टि का याची की सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति अथवा अन्य किसी सेवागत अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कभी उत्पन्न नहीं हुआ।

(iii) याची उक्त आदेशों के निरस्तीकरण के फलस्वरूप, विधि के अनुसार उपलब्ध समस्त परिणामी सेवा लाभ, यदि अन्यथा देय हो, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(iv) इस आदेश का अनुपालन, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तत किए जाने की तिथि से, तीन माह के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।

16. उभय पक्ष अपने–अपने वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–

(आनन्द कुमार सिंह)
सदस्य (प्रशासकीय)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–

(आनन्द कुमार सिंह)
सदस्य (प्रशासकीय)

दिनांकः 20.08.2026
विनोद/पी0ए0